


संलग्नक		धनराशि लाख रुपये में।		
SI	PIU Name	पीआईयू को पूर्व में अवमुक्त साख सीमा(पीआईयू के पास दिनांक 31.5.2011 को उपलब्ध अवशेष साख सीमा को गिलाकर)	पीआईयू को वर्तमान में अवमुक्त की जाने वाली साख सीमा का विवरण	कुल साख सीमा (कालम स।0 314)
1	2	3	4	5
1	Agra	31.02067	2.00000	33.02067
2	Ambedkarnagar	32.43444	3.14000	35.57444
3	Auriya	25.83566	1.74000	27.57566
4	Azamgarh-1	35.35894	1.25000	36.60894
5	Bahraich-1	37.78131	3.00000	40.78131
6	Balia-1	16.81003	2.50000	19.31003
7	Balrampur	37.10573	3.00808	40.11381
8	Banda-2	15.70494	0.46169	16.16663
9	Bareilly-1	50.42478	2.01203	52.43681
10	Chandauli	27.18732	3.00000	30.18732
11	Etawah,PIU-1	16.10961	1.52858	17.63819
12	Faizabad	35.10590	1.45134	36.55724
13	Firojabad	34.36203	0.74232	35.10435
14	Gaziabad	51.74093	2.50000	54.24093
15	G. B. Nagar	29.94244	3.00000	32.94244
16	Ghazipur	26.32060	3.00000	29.32060
17	Hardoi-1	27.46093	0.70740	28.16833
18	Hardoi-2	22.81614	0.57194	23.38808
19	Hathras	26.29138	2.00000	28.29138
20	J.B.F.Nagar	23.00337	1.02000	24.02337
21	Jhansi	24.74820	2.50000	27.24820
22	Kanpur Nagar (For PIU Rs.1,54118+S.E.Rs.17571.00)	30.04018	1.71689	31.75707
23	Kushinagar -1	26.60581	3.00000	29.60581
24	Maharajganj	22.20692	1.85000	24.05692
25	Mahoba	23.06971	0.40080	23.47051
26	Mahoba-2	12.52053	0.30751	12.82804
27	Pratapgarh-1	33.69394	1.68670	35.38064
28	Shahjahanpur,PIU-1	30.35333	0.63586	30.98919
29	Siddharathnagar,PIU-2	22.16435	0.45000	22.61435
30	Sultanpur-2	32.26005	2.25000	34.51005
31	Varanasi	47.42350	3.00000	50.42350
	Total	907.90367	56.43114 रु	964.33481

(रु0 छप्पन लाख तैतालिस हजार नौ सौ चौदह मात्र)



कार्यालय , उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।

पत्रांक:- 1353 / एफ-मिर्जापुरएसबीसी / यूपीआरआरडीए / 2011-12 दिनांक: 23 अगस्त, 2011
 सेवा में,

सहायक महा प्रबंधक,
 स्टेट बैंक आफ इण्डिया,
 जवाहर भवन , लखनऊ।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जनपद-मिर्जापुर(एस.बी.सी.) हेतु फेज-8 के अन्तर्गत डी.पी.आर. मद में लम्बित आयकर की धनराशि के भुगतान हेतु साख-सीमा का निर्गमन।

महोदय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत डी.पी.आर.गठन हेतु अधिशासी अभियंता,पीआईयू,यू.पी.एस.बी.सी. मिर्जापुर को फेज-8 में स्वीकृत पैकेजों के सापेक्ष भुगतान के सापेक्ष काटे गये आयकर की धनराशि को जमा किये जाने हेतु निम्न विवरणानुसार साख सीमा आबंटित की जा रही है। कृपया निर्धारित सीमा के अन्तर्गत बचत खाता सं० 10616665805 से नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।

क० सं०	जनपद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	प्राधिकृत अधिकारी का नाम	आबंटित धनराशि
1	2	3	4	5
1.	मिर्जापुर	यू.पी.एस.बी.सी.	अधिशासी अभियंता,पीआईयू , पीआईयू-यू.पी.एस.बी.सी. मिर्जापुर।	2,920.00
			योग:-	2,920.00

(रु० दो हजार नौ सौ बीस मात्र)

2. साथ ही अभिकरण के पत्र सं० 969 / एफ-108 / यूपीआरआरडीए / 2010-11 दिनांक 09.06.2010 के अनुसार पीआईयू-यू.पी.एस.बी.सी.मिर्जापुर के निर्गत चेक सीरीज में से चेक सं० 135882 से 135980 पर लगायी गयी स्टाप पेमेंट हटाते हुए उपरोक्त साख-सीमा के अन्तर्गत आयकर हेतु काटी गयी चेक का भुगतान करने का कष्ट करें।

(महेश कुमार अग्निहोत्री),
 वित्त नियंत्रक,

उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

(संजीव कुमार)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
 उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियंता,पीआईयू,यूपीएसबीसी.,मिर्जापुर को निम्न निर्देश के साथ कि:-
 (अ) निर्गमित की जा रही धनराशि का व्यय मात्र फेज-8 के डी.पी.आर.गठन हेतु ही किया जायेगा। अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।
 (ब) भारत सरकार द्वारा प्रति कि.मी. डी.पी.आर.गठन हेतु निर्धारित धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा, और भुगतान के उपरान्त अवशेष साख-सीमा को तत्काल समर्पित किया जायेगा।
 (स) धनराशि के भुगतान /आहरण में वित्तीय नियमों तथा भारत सरकार, उ०प्र० शासन व इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों /शासनादेशों एवं भारत सरकार द्वारा जारी योजना गाइड लाइन्स का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाएगा।
 (द) योजनान्तर्गत धनराशि के आहरण व भुगतान हेतु प्रोग्राम फंड का एक ही खाता, भारतीय स्टेट बैंक आफ इण्डिया,जवाहर भवन में संचालित है उक्त खाते के सापेक्ष कोर बैंकिंग के माध्यम से वास्तविक भुगतान के आधार पर चेकों का आहरण किया जायेगा, योजनान्तर्गत अन्य किसी भी बैंक में खाता खोल कर धनराशि का हस्तांतरण स्वीकार्य नहीं है।
- सम्बंधित जनपद की भारतीय स्टेट बैंक आफ इण्डिया मुख्य शाखा।
- सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी।

(महेश कुमार अग्निहोत्री),
 वित्त नियंत्रक

उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण